# जनपद शामली पुलिस

**--सोशल मीडिया सेल शामली--**

**प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 07.10.2024**

**थाना कैराना पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित पशु कटान की घटना में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कटान करने के उपकरण व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद।**

दिनांक 06.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं गौकशी की घटनाओं के रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा गोकशी की घटना में 01 अभियुक्त को कटान करने के उपकरण व सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 06.10.2024 को थाना कैराना पुलिस को थाना क्षेत्रान्तर्गत अकबरपुर सुन्हैटी के जंगल में प्रतिबन्धित पशु कटान होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-**

1.फरमान उर्फ भुल्लर पुत्र इकराम निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-**

1.मु0अ0सं0 003/2016 धारा 302 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 0094/2016 धारा 392/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 102/2016 धारा 395/397/412 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
4.मु0अ0सं0 105/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
5.मु0अ0सं0 602/2024 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

**बरामदगी का विवरण-**

1.कटान करने के उपकरण (01 कुल्हाडी, 03 छुरा, 01सुम्भा, 01 बुगदा व रस्सी आदि) ।
2.घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल हीरो स्पलैण्डर रजि0नं- UP12AV1247।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.उ0नि0 श्री अनिरुद्ध कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री सुभाषचन्द थाना कैराना जनपद शामली।
3.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
4.है0का0 आकाशदीप थाना कैराना जनपद शामली।
5.का0 भानु थाना कैराना जनपद शामली।

**थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-**

आज दिनांक 07.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.राशिद पुत्र वकील अहमद निवासी नगला राई बाग थाना कैराना जनपद शामली।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 एकता नागर थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 देवेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

**<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>**

आज दिनांक 07.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>**

1.बिट्टु उर्फ नरेन्द्र पुत्र भोपाल निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.हरेन्द्र पुत्र भोपाल निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

**उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलो में 06 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व अर्थदंड से दण्डित किया गया:-**

1. वर्ष 2010 में अभियुक्त 1.जुलफाम पुत्र कुतुबदीन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली 2.जुलफाम उर्फ जुल्ला पुत्र रुकमदीन निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 1043/2010 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 07.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/5/8 सीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 5,000-5,000/- रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2023 में अभियुक्त 1.आशु पुत्र इम्तियाज निवासी मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली 2.दिलशाद उर्फ सादा पुत्र यासीन निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 238/2023 धारा 171एफ भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 07.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 171एफ भादवि में 3,000-3,000/-रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2023 में अभियुक्त 1.फैजान उर्फ विशाल पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला राजोवाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली 2. मुस्तकीम उर्फ भानू पुत्र युसुफ निवासी मौहल्ला राजोवाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 371/2023 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 07.10.2024 को माननीय न्यायालय ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 379/411 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000-1,000/-रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 04-04 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

**नाम व पता अभियुक्त उपरोक्त:-**

1.जुलफाम पुत्र कुतुबदीन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

2.जुलफाम उर्फ जुल्ला पुत्र रुकमदीन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

3.आशु पुत्र इम्तियाज निवासी मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली।

4.दिलशाद उर्फ सादा पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली।

5.फैजान उर्फ विशाल पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला राजोवाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.मुस्तकीम उर्फ भानू पुत्र युसुफ निवासी मौहल्ला राजोवाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

**<u>माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना ‘‘मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर किया गया जागरूक:-</u>**

माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना “मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अन्तर्गत आज दिनांक 07.10.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद शामली में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बा,चौराहों, स्कूलों/कॉलेजों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा शासन व पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण स्वावलंबन हेतु चलाई जा रही विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी०एम० स्वानिधि योजना, पी०एम० सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना। तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी०एम० हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाईन-181, साईबर क्राईम हेल्प लाईन 1930 आदि के बारे मे पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया।

**<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>**